

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पञ्च व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जिसकी अत्यंत प्राधिकारी के बारे में।
उत्तमवित्त विषय पर यह पूर्ण ने पञ्च व्यवहार कुप्राप्त हो तो पञ्च क्रमांक एवं दिनांक अवश्य सिवा जाए जिससे समिति हो।



ग्राम : जीवाजीविश्वविद्यालय
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक-एफ/सम्बद्धता/2009/4864

दिनांक: 30/04/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध शासकीय विधि महाविद्यालय, मुरैना (07532-250804) को सन् 2011-12 के लिये प्रस्तावित संबंधित एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय एवं पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अत्याधीन सम्बद्धता हेतु अनुबंधाने प्रदान करने के लिये मानकीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार कियीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. संजय कुलश्रेष्ठ, आचार्य, विधि संस्थान, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442793)

(2) डॉ. गणेश दुबे, आचार्य, विधि संस्थान, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) डॉ. एन.एस. उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, शासकीय महाविद्यालय, दतिया।

विश्वविद्यालय की सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय कर शुल्क, धरोहर राशि, वार्षिक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिएन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथा प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विनियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुबंधाने अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर विश्वविद्यालय करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त विधार्ति समय में विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। विश्वविद्यालय के अन्दर करने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गवर्नर का पत्र प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय में की गई देशी के लिए महाविद्यालय खबरें उत्तरदायी होंगी। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जाएगी यदि महाविद्यालय 03 जानूर्म में विश्वविद्यालय कर्त्ता हो तो समिति उत्तर: विरुद्ध हो जायेगी और पुनः विश्वविद्यालय समिति गवर्नर हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- देना विश्वविद्यालय की विनियुक्ति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिवेदन 27(1)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिंबा अंत्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।”

विश्वविद्यालय समिति के साथ सम्बद्धता शाला में कार्यरत अधीकार / कार्यालय सहायक प्राचार्यी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की स्वस्त्रियों से विश्वविद्यालय समिति को अवगत करायेंगे। विश्वविद्यालय समिति के सदस्यों को श्री.ए. / श्री.ए. / मालदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय समिति को अवगत करायेंगे।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसंचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप कुलसंचिव (सम्बद्धता)